झारखण्ड सरकार

श्रम,नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची।

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना

सूचना

योजना का नाम वित्तीय वर्ष 2020-21	योग्यता	पात्रता	आवेदन की प्रक्रिया	प्रोत्साहन राशि
"मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना"	राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण सरकारी आई0टी0आई0, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो National Qualification Framework (NSQF) से Aligned हो।	• आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात आवेदक न तो सार्वजनिक/निजी क्षेत्र से जुड़े हो और न ही स्वरोजगार से जुड़े हो)। • आवेदक झारखण्ड के नियोजनालय में निबंधित होना चाहिए। • योजना हेतु चिन्हित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अहर्त्ताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। • इस योजना का लाभ हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो। • झारखण्ड राज्य के निवासी/अधिवास (domicile) हो। • स्वयं का वैध बैंक खाता/आधार कार्ड हो। • वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो, जिसकी वजह से 48 घंटे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो। • नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी)।	आवेदक ने जिस विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस विभाग/संस्थान में विहित प्रपत्र (सभीअनुलग्नकों सहित) पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करेंगें।	उपयुक्त अर्हत्ताधारी आवेदक के लिए 5000/- प्रति एक वर्ष के लिए (विधवा/परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि 50% अतिरिक्त होगी)।

योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार विशेष जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट https://rojgar.jharkhand.gov.in/http:// niyojanprashikshan.nic.in या https://ranchi.nic.in पर और विशेष जानकारी अवर प्रादेशिक नियोजनालय, राँची के सूचना पट्ट पर भी देखी जा सकती है।

ह0/- 25.01.21

सहायक निदेशक(नि0)
नियोजन एवं प्रशिक्षण,
झारखण्ड, राँची।